दिल्ली विकास अधिनियम, 1957

(1957 का अधिनियम संख्यांक 61)

[27 दिसम्बर, 1957]

योजना के अनुसार दिल्ली के विकास का और उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 है ।

(2 इसका विस्तार संपूर्ण [1][**दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र**] पर है ।

(3) यह उस तारीख* को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सुख सुविधा" के अंतर्गत सड्क, जल प्रदाय, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जल निकास, मलवहन, लोक संकर्म, और ऐसी अन्य सुविधा है जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिऐ सुख-सुविधा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "भवन" के अंतर्गत कोई ऐसी संरचना या निर्माण अथवा किसी संरचना या निर्माण का भाग है जिसका उपयोग आवासिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए आशयित है, चाहे वह वास्तविक उपयोग में हो या नहीं;

(ग) "भवन संक्रिया" के अन्तर्गत पुनः निर्माण संक्रियाऐं, भवनो में संरचनात्मक परिवर्तन या परिवर्धन और ऐसी अन्य संक्रियाएं है, जो सामान्यतः भवनों के सन्निर्माण के संबध में को जाती हैं;

(घ) विभिन्न वैयाकरण रूप सहित "विकास" से भूमि में, पर या उसके ऊपर या अंदर निर्माण, इंजीनियरो, खनन या अन्य संक्रियाएं करना अथवा किसी भवन या भूमि में कोई तात्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत पुनःविकास भी है;

(ङ) "विकास क्षेत्र" से धारा 12 को उपधारा (1) के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) "इंजीनियरी संक्रिया" के अंतर्गत किसी सड्क तक पहुंच मार्ग का बनाया जाना या बिछाया जाना अथवा जल प्रदाय के साधनों का बिछाया जाना है ;

(छ) "पहुंच मार्ग" के अंतर्गत यानों के लिए या पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए प्राइवेट या सार्वजनिक कोई पहुंच मार्ग है और इसके अन्तर्गत सड्क भी है;

(ज) "विनियमन" से धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;

(झ) "नियम" से केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम अभिप्रेत हैं ;

(ञ) किसी भवन के संबध में, "निर्माण करना" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) किसी भवन में कोई तात्विक परिवर्तन या विस्तार,

(ii) किसी ऐसे भवन में, जो मूलतः मानव निवास के लिए एक स्थान के रूप में सन्निर्मित है, एक स्थान में संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा संपरिवर्तन,

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* 30 दिसंबर, 1987, अधिसूचना ,स० का० नि० आ० 120, तारीख 30-12-1987 द्वारा : भारत का राजपत्र, 1958, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 94 देखे, ।

(iii) किसी ऐसे भवन में, जो मूलतः मानव निवास के लिए एक स्थान के रूप में सन्निर्मित है, एक स्थान से अधिक स्थानों में संपरिवर्तन,

(iv) मानव निवास के दो या अधिक स्थानों का अधिक संख्या में ऐसे स्थानों में संपरिवर्तन,

(v) किसी भवन में ऐसे परिवर्तन जो उसके जल निकास या सफाई व्यवस्थाओं के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, या उसकी सुरक्षा को तात्विक रूप से प्रभावित करते हैं;

(vi) किसी भवन में किन्हीं कक्षों, निर्माणों, गृहों या अन्य संरचनाओं में परिवर्तन, और

(vii) किसी ऐसी सड़क या भूमि के पार्शवस्थ दीवाल में, जो दीवाल के स्वामी की नहीं है, ऐसी सड़क या भूमि की और खुलने वाले किसी दरवाजो का सन्निर्माण ;

(ट) "जोन" से उन प्रभागों में से कोई एक अभिप्रेत है जिसमें दिल्ली को इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के के लिए विभाजित किया जाए ;

[1][(ठ) "भूमि" शब्द का वही अर्थ है जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 3 में है ।

अध्याय 2

दिल्ली विकास प्राधिकरण और उसके उद्देश्य

3. दिल्ली विकास प्राधिकरण—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण गठित करेंगी जो दिल्ली विकास प्राधिकरण कहलाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है)।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिस जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों के अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद हाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष जो [2][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] का [3][उपराज्यपाल] होगा, पदेन ;

(ख) एक उपाध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा,

(ग) एक वित्त ओर लेखा सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(घ) एक इंजीनियर सदस्य जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ङ) जैसे ही दिल्ली नगर निगम स्थापित हो जाएगा, उस निगम के दो प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन पार्षदों और निगम के पोर-मुख्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा ।

[4][(च) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के तीन प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, जिनमें से दो सत्तारूढ़ दल से होंगे और एक सरकार के विपक्षी दल से होगाः

परन्तु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार की मंत्रि-परिषद् का कोई भी सदस्य प्राधिकरण के लिए निर्वाचन किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सत्तारूढ़ दल" और "सरकार का विपक्षी दल अभिप्रेत होगा।]

[5][(3क) उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णकालिक या अंशकालिक, जैसा केंद्रीय सरकार ठीक समझे, हो सकेगी किंतु वित्त तथा लेखा सदस्य और इंजीनियर सदस्य की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी ।]

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 2 द्वारा खंड (ठ) के स्थान पर (भूतलक्षी प्रभाव से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "प्रशासक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1996 के अधि० सं० 36 की धारा 3 द्वारा खंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][(4) उपाध्यक्ष, यदि वह पूर्णकालिक सदस्य है, वित्त और लेखा सदस्य तथा इंजीनियर सदस्य, प्राधिकरण की निधियों में से ऐसे वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, प्राप्त करने के हकदार होंगे और वे सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जो इस निमित्त बनाए गए नियमो द्वारा अवधारित हो जाएं।]

(5) उपाध्यक्ष, यदि वह अंशकालिक सदस्य है, और उपधारा (3) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में विनिर्दिष्ट अन्य सदस्यों की, प्राधिकरण को निधियों में ऐसे भत्ते, यदि कोई हो, संदत्त किए जा सकेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस नियम नियत किए जाएं।]

(6) उपाध्यक्ष, वित्त और लेखा सदस्य, इंजीनियर सदस्य और उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट [2][तीन सदस्य] केंद्रीय सरकार [3][***] के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे ।

[4][(7) निर्वाचित सदस्य प्राधिकरण में आने निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष का अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा

परन्तु ऐसी अवधि उसी समय समाप्त हो जाएगी जैसे ही वह उस निकाय का जिसमें वह निर्वाचित हुआ था, सदस्य नहीं रह जाता है ।]

(9) पदेन सदस्य से भिन्न कोई केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा किंतु वह पद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्यागपत्र उस सरकार द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है ।

(10) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि है ।

4. प्राधिकरण के कर्मचारिवृद—(1) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण के क्रमशः सचिव और मुख्य लेखाधिकारी के रूप में दो उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा उनकी प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(2) ऐसे नियंत्रण और निबंधनो के अधीन रहते हुए जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, प्राधिकरण उतनी संख्या में अन्य अधिकारी और कर्मचारी (जिसके अंतर्गत तकनीकी कार्य के लिए विशेषज्ञ भी है) नियुक्त कर सकेगा जितनी उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों और उनके पद और श्रेणियों अवधारित कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारों और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी प्राधिकरण की निधियों में से ऐसे वेतन, और भत्ते, यदि कोई हों, प्रप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जो इस निमित बनाए गए नियमो द्वारा अवधारित की जाएं ।

5. सलाहकार परिषद्—(1) प्राधिकरण, यथाशक्य शीघ्र एक सलाहकार परिषद् का मास्टर प्लान की तैयारी के संबंध में और विकास योजना से संबंधित, या इस अधिनियम के प्रशासन से उद्‌भूत विषयों या उसके संबंध में [5][उद्‌भूत ऐसे अन्य विषयों का बाबत] जो प्राधिकरण द्वारा उसे निर्देशित किए जाए, प्राधिकरण की सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन कर सकेगा

(2) सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष, पदेन, जो समापति होगा ;

(ख) शहरी योजना या वास्तुकला का ज्ञान रखने वाले दो ऐसे व्यक्ति जिनका नामनिर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ;

(ग) दिल्ली प्रशासन की स्वास्थ्य सेवा का एक प्रतिनिदि जिसका नामनिर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा

(घ) दिल्ली नगर निगम के चार ऐसे प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन पार्षदों और पौर-मुख्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा ;

[(ङ) उक्त निगम की दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति तथा दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति, जिनमें से,—

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 3 द्वारा उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम, सं० 56 की धारा 3 द्वारा "दो सदस्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1966 के अधिनियम, सं० 19 की धारा 36 द्वारा (7-9-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1966 के अधिनियम सं० 19 की धारा 36 द्वारा उपधारा (7) और उपधारा (8) के स्थान पर (7-9-1986 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 1963के अधिनियम सं० 56 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) एक का निर्वाचन दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा, और

(ii) एक का निर्वाचन दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा ;

(ङङ) दिल्ली परिवहन निगम का एक प्रतिनिदि जिसका नामनिर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ;]

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से एक दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा और एक श्रमिक के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(छ) केंद्रीय सरकार के तकनीकी विभागों से चार व्यक्ति जिनका नामनिर्देशन उस सरकार द्वारा किया जाएगा ; और

(ज) संसद् के तीन सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्य होंगे और एक राज्य सभा का सदस्य होगा, जिनका निर्वाचन क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।

(3) परिषद् जब भी आवश्यकता होगी, बैठक करेगी और उसको अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(4) निर्वाचित सदस्य परिषद् में अपने निर्वाचन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा :

परंतु ऐसी अवधि उस समय समाप्त हो जाएगी जैसे ही वह सदस्य उस निकाय का जिससे वह निर्वाचित किया गया था, सदस्य नहीं रह जाएगा ।

[1][**5क. समितियों का गठन**—(1) प्राधिकरण, ऐसे प्रयोजन या प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए पूर्णतः सदस्यों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों या भागतः सदस्यों या भागत अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी उतनी समितियां गठित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अदीन गठित समिति ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो इस निमित बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(3) किसी समिति के सदस्यों (जो प्राधिकरण के सदस्यों से भिन्न हैं) को उसकी बैठकों में उपस्थित होने के लिए और प्राधिकरण के किसी अन्य कार्य को करने के लिए ऐसी फोस और भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो इस निमित बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।]

6. प्राधिकरण के उद्देश्य —प्राधिकरण के उद्देश्य योजना के अनुसार दिल्ली के विकास का उन्नयन करना और उसको सुनिशचित करना होंगा तथा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकर को, भूमि और अन्य संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंध और व्ययन करने, निर्माण, इंजीनियरों, खनन और अन्य संक्रियाएं करने, जल और विद्युत के प्रदाय, मल व्ययन और अन्य सेवाओं और सुख-सुविधाओं के संबंध में कार्य निष्पादित करने और साधारण, ऐसे विकास के प्रयोजनो के लिए तथा उसमें आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई भी बात करने की शक्ति होगीः

परंतु इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ यह नही लगाया जाएगा कि वह प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि की अवज्ञा करने की प्राधिकृत करती है ।

अध्याय 3

मास्टर प्लान और जोन विकास योजनाएं

7. दिल्ली का नागरिक सर्वेक्षण और उसके लिए मास्टर प्लान—(1) प्राधिकरण, यथाशक्य शीघ्र, दिल्ली का नागरिक सर्वेक्षण करेगा और उसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगा ।

(2) मास्टर प्लान—

(क) उन विभिन्न जोनों को परिभाषित करेंगी जिनमें दिल्ली का विकास के प्रयोजनों के लिए विभाजन किया जाए और वह रीति उपदर्शित करेंगी जिससे प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव है (चाहे उस पर विकास करके किया जाए या अन्यथा) और वे प्रक्रम उपदर्शित करेगी जिनके द्वारा ऐसा कोई विकास किया जाएगा ; और

(ख) ढ्राचे के उस आधारी पैटर्न के रूप में काम करेगी जिसके भीतर विभिन्न जोनों की जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी ।

(3) मास्टर प्लान में कोई ऐसा अन्य विषय उपबंधित क्या जा सकेगा जो दिल्ली के समुचित विकास के लिए आवश्यक है ।

---

[1] 1963 का अधिनियम सं० 56 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

8. जोन विकास योजनाएं—(1) मास्टर प्लान की तैयारी के साथ-साथ या उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, प्राधिकरण प्रत्येक जोन के लिए जिसमें दिल्ली का विभाजन किया जाए, जोन विकास योजना तैयार करेगा ।

(2) जोन विकास योजना में,—

(क) जोन के विकास के लिए स्थल योजना और व्यवहार योजना अंतर्विष्ट हो सकेगी और जोन में ऐसी बातों जैसे, लोक भवन और अन्य लोक संकर्म तथा जनोपयोगी सेवाओं, सड्क, आवास, आमोद-प्रमोद, उद्योग, कारबार, बाजार, विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक और प्राइवेट खुले स्थान तथा सार्वजनिक और प्राइवेट उपयोगों के अन्य प्रवर्गों के लिए, प्रस्तावित अनुमानित अवस्थान और भूमि उपयोग के विस्तार दर्शित किए जा सकेंगे ;

(ख) जनसंख्या सघनता और भवन सघनता के स्तरमान विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ;

(ग) जोन में ऐसा प्रत्येक क्षेत्र दर्शित किया जा सकेगा जो, प्राधिकरण की राय में, विकास या पुनःविकास के लिए अपेक्षित हो या घोषित हो ;

(घ) विशिष्टता, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगें, अर्थातः—

(i) भवनों के निर्माण के लिए किसी स्थल का प्लाटों में विभाजन ;

(ii) सड्कों, खुले स्थानों, उद्यानों, आमोद-प्रमोद के मैदानों, विद्यालयों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अबांटन या आरक्षण ;

(iii) नगर क्षेत्र या कालोनी में किसी क्षेत्र का विकास और वे निबंधन और शर्ते जिनके अधीन ऐसा विकास किया या कराया जा सकेगा ;

(iv) किसी स्थल पर भवनों का निर्माण और भवनों में या उनके आस-पास बनाए रखे जाने वाले खुले स्थानों तथा भवनों को ऊंचाई और स्वरूप के संबंध में निर्वधन और शर्तें ;

(v) किसी स्थल पर भवनों का संरेखण ;

(vi) किसी स्थल पर निर्माण किओ जाने वाले किसी भवन के उत्थापन या परोभाग का वास्तु रूप ;

(vii) ऐसे आवासीय भवनों की संख्या जो किसी प्लाट या स्थल पर बनाए जाए ;

(viii) किसी स्थल या ऐसे स्थल पर भवनों के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली सुख-सुविधाएं चाहे वे भवनों के निर्माण के पूर्व हों या पश्चात्, और वह व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके व्यय कर ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है ।

(ix) दुकानों, कर्मशालाओं, भांडागारों या कारखानों या किसी विनिर्दिष्ट वस्तु रूप के भवनों अथवा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिक्षेत्र में परिकाल्पत भवनों के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्बधन ;

(x) दीवालों, बाडों, घेरों या किसी अन्य संरचनात्मक या स्थापत्य सन्निर्माण का अनुरक्षण और वह ऊंचाई जिस पर वे रखी जाएंगी ;

(xi) भवनों के निर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी स्थल के उपयोग के संबंध में निर्बन्धन ; और

(xii) कोई अन्य विषय, जो जोन के या योजना के अनुसार उसके किसी क्षेत्र के समुचित विकास और ऐसे जोन या क्षेत्र में बेतरतीव रूप से भवन निर्मित किए जाने से निवारित करने के लिए आवश्यक हो ।

9. योजनाओं को केंद्रीय सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना—(1) इस धारा में और धारा 10, धारा 11, धारा 12, और धारा 14 में "योजना" शब्द से मास्टर प्लान और किसी जोन के लिए जोन विकास योजना अभिप्रेत है ।

(2) प्रत्येक जना को, उसका तैयारी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और वह सरकार योजना को उपांतरण के बिना या ऐसे उपातंरण सहित जो वह आवश्यक समझे अनुमोदित कर सकेगी या प्राधिकरण को इन निदशों के साथ योजना को नामंजूर कर सकेगी कि वह ऐसे निर्देशों के अनुसार एक नई योजना तैयार करे ।

10. योजनाओं को तैयार करने और उनके अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—(1) किसी जना को अंतिम रूप से तैयार करने और केंद्रीय सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए उसको प्रस्तुत करने के पूर्व, प्राधिकरण एक प्रारूप योजना तैयार करेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराकर, उसकी प्रकाशित करेगा तथा एक सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रकासित करेगा जो इस

निमित बनाए कए नियमों द्वारा विहित की जाए, जिसमें उस प्ररूप योजना की बाबत, किसी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आक्षेप और सुझाव मार्ग जाएंगे।

(2) प्राधिकरण, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को भी योजना की बाबत कोई अब्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर योजना द्वारा ली गई कोई भूमि स्थित है।

(3) प्राधिकरण ऐसे सभी आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर जो उसके द्वारा प्राप्त किए जाएं, विचार करने के पश्चात् अंतिम रूप से योजना तैयार करोगा और उसको केंद्रीय सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) किसी योजना के प्ररूप और अन्तर्वस्तु की बाबत तथा अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया और ऐसी योजना के तैयार, प्रस्तुत किए जाने ओर अनुमोदन के संबंध में किसी अन्य विषय की बाबत इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगें।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार प्राधिकरण को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसी जानकारी दे जिसकी वह सरकार, इस धारा के अधीन उसकी प्रस्तुत की गई किसी योजना का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिये अपेक्षा करें।

11. योजनाओं के प्रवर्तन की तारीख—केंद्रीय सरकार द्वारा योजना के अनुमोदित किए जाने के ठीक पश्चात प्रधिकरण एक सूचना, ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, यह कथित करते हुए कि योजना अनुमोदित हो गई है और उस स्थान का नाम भी बताती हुए जहां योजना की प्रति का सभी उचित समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा, प्रकाशित करेगा और पूर्वोक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख को योजना प्रवर्तित हो जाएगी।

[1][अध्याय 3क]

मास्टर प्लान और जोन विकास योजना में उपांतरण

11क. योजना में उपांतरण—(1) प्राधिकरण, मास्टर प्लान या जोन विकास योजना में ऐसे उपांतरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे। वे ऐसे उपांतरण होंगे जो, उसकी राय में, योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करते हैं और जो भूमि के उपयोक्ताओं के परिमाण या जनसंख्या सघनता के स्तरमान से संबंधित नही है।

(2) केंद्रीय सरकार, मास्टर प्लान या जोन विकास योजना में उपांतरण कर सकेगी, चाहे ऐसे उपांतरण उपधारा (1) विनिर्दिष्ट प्रकृति के हों या अन्यथा।

(3) यथास्थिति, प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार, योजना में कोई उपांतरण करने के पूर्व, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, एक सूचना प्रकाशित करेगा या करेगी, जिसमें किसी व्यक्ति से प्रस्तावित उपांतरणों की बाबत आक्षेप और सुझाव ऐसी तारीख के पूर्व मांगे जाएगें जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो प्राप्त किए जाए, विचार करेगा या करेगी।

(4) इस धारा के उपबंधो के अधीन किए गए प्रत्येक उपांतरण को ऐसी रोति से प्रकाशित किया जाएगा जो, यथास्थिति, प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और ऐसा उपांतरण प्रकाशन को तारीख को या किसी ऐसी तारीख को जो प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार नियत करे, प्रवृत्त होगा।

(6) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपांतरण ऐसे उपांतरण हैं जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित करते या वे भूमि के उपयोक्ताओं के परिमाण या जनसंख्या सघनता के स्तरमान से संबंधित हैं, तो वह केंद्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) मास्टर प्लीन या जोन विकास योजना के प्रति अध्याय 3 के सिवाय किसी अन्य अध्याय में किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह इस ओधारा के उपबंधों के अधीन यथा उपांतरित मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के प्रति निर्देश है।]

अध्याय 4

भूमि का विकास

12. विकास क्षेत्रों की घोषणा और उन क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में भूमि का विकास —[2][(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दिल्ली में किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगीः

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी घोषणा का एक प्रस्ताव केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को उस पर अपने विचार, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, व्यक्त करने के लिए निर्देशित न किया गया हो और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो।

)2(इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, प्राधिकरण किसी ऐसे क्षेत्र में भूमि का कोई विकास करने का जिम्मा नहीं लेगा या भूमि का कोई विकास नहीं करेगा जो विकास क्षेत्र नहीं है।

)3) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी व्यक्ति या निकाय (जिसके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) द्वारा किसी क्षेत्र में भूमि का कोई विकास करने का जिम्मा तब तक नहीं लिया जाएगा या भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा जब तक कि,—

)4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के आरंभ के तुरन्त पूर्व पोत पुनर्चक्रण में लगी हुई प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की समाप्ति पर किसी ऐसे पुनर्चक्रण का संच ालन करना समाप्त कर देगी, जब तक कि ऐसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा ने प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया है और उसे इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किया जाता या जब तक ऐसे आवेदन का निपटान नहीं किया जाता, जो भी पहले हो।

)i(जहां वह क्षेत्र विकास क्षेत्र है, ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार प्राधिकरण से लिखित रूप में प्राप्त न कर ली गई हो,

)ii(जहां वह क्षेत्र विकास क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र है, वहां ऐसे विकास का अनुमोदन या उसके लिए मंजूरी संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से या इस निमित्त सशक्त या प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी या प्राधिकारों से ऐसे प्राधिकरण को शासित करने वाली विधि द्वारा या उसके अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार या ऐसे उपबंध किये जाने तक दिल्ली (भवन संक्रिया नियंत्रण) अधिनियम, 1955 (1955 का 53) के अधीन विकास के लिए अनुज्ञा देने से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार लिखित रूप में प्राप्त न की गई होः

परंतु संबंधित स्थानीय प्राधिकरण [1][धारा 53क के उपबंधों के अधीन रहते हुए] उन विनिमों में ऐसे क्षेत्र को उनको लागू करने के लिए संशोधन कर सकेगा।

)4(किसी क्षेत्र में योजनाओं में से किसी के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् उस क्षेत्र में कोई विकास करने का जिम्मा तब तक नहीं लिया जाएगा या कोई विकास नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा विकास ऐसी योजनाओं के अनुसार न हो।

)5(उपधारा (3) और उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व शुरू किए गए किसी भूमि के विकास को उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उन उपधाराओं का अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना पूरा किया जा सकेगा।

13. अनुज्ञा के लिए आवेदन—)1(ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या निकाय (जिनके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) जो धारा 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता है, प्राधिकरण को आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसे विकास की बाबत जिससे आवेदन संबंधित है, ऐसी विशिष्तटयों से युक्त लिखित रूप में करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

)2(उपधारा (1) के अदीन प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाएः

परंतु सरकार के किसी विभाग द्वारा किए गए आवेदन की दशा में ऐसी फीस आवश्यक नहीं होगी।

)3(प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन प्राप्त करने पर, ऐसी जामच करने के पश्चात् जो वह धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में आवश्यक समझे, लिखित रूप में आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों, ऐसी यदि कोई हों, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के अधीन रहते हुए अनुज्ञा देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार कर देगा:

परंतु ऐस ी अनुज्ञा देने से इंकार करने का आदेश करने के पूर्व आवेदक को यह हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देगा कि अनुज्ञा देने से क्यों नहीं कार कर दिया जाए।

)4(जहां अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है वहां ऐसे इंकार किए जाने के आधार लेखबद्ध किए जाएंगे और उन्हें विनियमों द्वारा विहित रीति से आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(5) प्राधिकरण इस धारा के अधीन अनुज्ञा के आवेदनों का एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

(6) उक्त रजिस्टर में ऐसी विशिष्टियां जिसके अंतर्गत उस रीति से संबंधित जानकारी भी है, जिससे अनुज्ञा के आवेदनों को निपटाया गया है जो विनियमों द्वारा विहित को जाए, होंगी और वह रजिस्टर जनता के किसी सदस्य द्वारा सभी उचित समयों पर ऐसी फीस के संदाय पर जो पांच रुपए से अधिक नहीं होगी, जैसा विनियमों द्वारा विहित की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

(7) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा है से इंकार कर दिया गया है वहां आवेदक या उसकी मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञा के लिए आवेदन पर संदत्त फीस का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा, किंतु प्राधिकरण उपधारा (4) के अधीन इंकार किए जाने के आधारों की संसूचना के तीन मास के भीतर किए गए प्रतिदाय के आवेदन पर फीस के उतने भाग को प्रतिदाय करने के लिए निदेश दे सकेगा जितना उसे मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतोत हो ।

14. योजनाओं के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोक्ता—भू किसी जोन में किसी योजना के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति उस जोन में उस योजना के अनुरूप से अन्यथा किसी भूमि या भवन का उपयोग न तो करेगा न करने देगाः

परन्तु यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित के जाएं, उस प्रयोजन के लिए और उस विस्तार तक जिसके लिए और जिस तक उसका उस तारीख तक उपयोग किया जाता रहा है जिसको ऐसी योजना प्रवृत्त होती हैं, किसी भूमि या भवन का उपयोग करता रहे ।

अध्याय 5

भूमि का अर्जन और व्ययन

[1]**[15. भूमि का अनिवार्य अर्जन**—)1(यदि केंद्रीय सरकार की राय में कोई भूमि इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो, केंद्रीय सरकार ऐसी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के उपबंधो के अधीन अर्जित कर सकेगी ।

)2(जहां कोई भूमि केंद्रीय सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई है वहां वह सरकार, भूमि का कब्जा लेने के पश्चात्, भूमि को प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए भूमि अर्जित की गई हैं, प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रतिकर के और अर्जन के संबंध में सरकार द्वारा उपगत प्रभारों के संदाय किए जाने पर अंतरित कर सकेगी ।

16. भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए प्रतिकर—दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का 56) की धारा 10 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) निरसित ।

17. कलैक्टर के विनिश्चय के विरुद्ध जिला न्यायधीश को अपील—दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963का 56) की धारा 10 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) निरसित ।

18. प्रतिकर के प्रभाजन के संबंध में विवाद—दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 के 56) की धारा 10 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) निरसित ।

19. प्रतिकर का संदाय या न्यायालय में उसका निक्षेप—दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 के 56) की धारा 10 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) निरसित ।

20. न्यायालय में निक्षिप्त प्रतिकर की रकम का विनिधान —दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 के 56) की धारा 10 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) निरसित ।

21.प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि का व्ययन—)1(केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किन्हीं निदेशो के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा अर्जित और उस पर किसी विकास का जिम्मा लिए बिना या कोई विकास किए बिना उसकी अंतरित किसी भूमि का व्ययन ; या

(ख) ऐसे विकास का जिम्मा लेने या ऐसा विकास करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, किसी ऐसी भूमि का व्ययन ;

ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अदीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे ।

---

[1]. 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 9 द्वारा धारा 15 के स्थान पर (भूतलक्षी रूप से) प्रतिस्थापित ।

)2(उपधारा (1) के अधीन भूमि के व्ययन की बाबत, यथास्थिति प्रधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे की जहां तक साध्य हो, यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे व्यक्तियों को, जो उस भूमि पर रह रहे हैं या कारबार या अन्य कार्यकलाप कर रहे हैं, यदि वे प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की भूमि पर स्थान सुविधा प्राप्त करना चाहे और उसके विकास और उपयोग के संबंध में प्राधिकरण या संबंधित स्थंगनीय प्राधिकरण की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने के इच्छुक हैं, उस पर ऐसी स्थान-सुविधा प्राप्त करने का अवसर हो, जो उस कीमत का सम्यक् ध्यान रखते हुए जिस पर कोई ऐसी भूमि उनसे अर्जित की गई है, नियत निबंधनों पर उनकी समुचित के अपेक्षाओं के उपयुक्त होः

परन्तु जहां प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण किसी भूमि के उस पर किसी विकास का जिम्मा लिए बिना या कोई विकास किए बिना, विक्रय द्वारा व्ययन का प्रस्ताव करता है, वहां वह प्रथमतः ऐसे व्यक्तियों को भूमि प्रस्थापित करेगा जिनसे वह अर्जित की गई थी यदि वे उसके विकास और उपयोग के संबंध में ऐसी अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण अधिरोपित करना ठीक समझे, उसका क्रय करना चाहे ।

)3) इस की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह प्राधिकरण या संबंधित प्राधिकरण को भूमि का दान, बंधक, या भार के रूप में व्ययन करने के लिए समर्थ बनाती हैं किंतु पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, भूमि के व्ययन के प्रति इस अधिनियम में निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह किसी भी रीति से, चाहे वह विक्रय, विनिमय या पट्टे के रूप में हो या किसी सुविधाधिकार या विशेषाधिकार के सृजन द्वारा या अन्यथा हो, उसके व्ययन के प्रति निर्देश है ।

22. नजूल भूमि—(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो उस सरकार और प्राधिकरण के बीच करार पाई जाएं, संघ में निहित दिल्ली में सभी या किन्हीं विकसित और अविकसित भूमियों को (जो "नजूल भूमि" के रूप में ज्ञात है और जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "नजूल भूमि" कहा गया है) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के व्ययनाधीन रख सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधकरण के व्ययनाधीन भूमि रखने के पश्चात् किसी नजूल भूमि की विकास प्राधिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के द्वारा या उसके अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) प्राधिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के द्वारा या उसके अधीन किसी ऐसी नजूल भूमि का विकास करने के पश्चात् उसका निपटान केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों और दिए गए निदेशो के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गई कोई नजूल भूमि केंद्रीय सरकीर द्वारा उसके पश्चात् किसी भी समय अपेक्षित हो, प्रादिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसे उस सरकार के व्ययनाधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उस सरकार और प्राधिकरण के बीच करार पाई जाएं, पुनः रख सकेगा ।

[1]**[22क. प्राधिकरण की अविकसित क्षेत्र में भूमि का विकास करने की शक्ति**—धारा 12 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह किसी ऐसी भूमि के विकास का जिम्मा लेगा या ऐसी भूमि का विकास करेगा जो उसे धारा 15 या धारा 22 के अधीन अंतरित की गई है या उसके व्ययनाधीन रखी गई है, यद्यपि ऐसी भूमि किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो विकसित क्षेत्र नहीं है ।]

अध्याय 6

वित्त लेखा और लेखा-परीक्षा

23. प्राधिकारी की निधि—)1) प्राधिकारण की अपनी निधि होगी और उसके द्वारा बनाई रखी जाएगी जिसमें—

(क) प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन ;

(कक) प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार से भिन्न स्त्रोतों से ऋण या डिबेंचरों के रूप में उधार लिए गए सभी धन ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी फीस और प्रभार ;

(ग) प्राधिकरण द्वारा भूमियों, भवनों और अन्य जंगम तथा स्थावर संपत्तियों के व्ययन से प्राप्त सभी धन ; और

(घ) प्राधिकरण द्वारा भाटकों और लाभों के रूप में या किसी अन्च राति से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त सभी धन, जमा किए जाएंगे ।

(2) निधि का उपयोजन प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के प्रशासन में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा न कि किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए ।

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 11 द्वारा अंत स्थापित ।

(3) प्राधिकरण, भारतीय स्टेट बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य बैंक के चालू खाते में अपनी निधि में से ऐसी धनराशि रखेगा जो नियमों द्वारा विहित की जाए और उक्त राशि के आधिक्य में किसी धन को ऐसी रीति से विनिधान किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसे अनुदान, अग्रिम और ऋण दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ; और दिए गए सभी अनुदान, ऋण और अग्रिम ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे जो केंद्रीय सरकार अवधारित करे ।

[1][(5) प्राधिकरण (केंद्रीय सरकार से भिन्न) ऐसे स्रोतों से ऋण या डिबेंचर के रूप में धन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर उधार ले सकेगा जो केद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं ।

)6(प्राधिकरण, उपधारा (5) के अधीन उधार लिए गए धन के प्रति संदाय के लिए एक निक्षेप निधि रखेगा और उस निक्षेप निधि में प्रत्येक वर्ष उतनी राशि का संदाय करेगा जितनी इस प्रकार उधार लिए गए सब धन के नियत अवधि के भीतर प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त हों ।

(7) निक्षेप या उसके किसी भाग का उपयोजन ऋण के उन्मोचन में या उसके लिए किया जाएगा जिसके लिए ऐसी निधि का सृजन किया गया था, और जब तक ऐसा ऋण पूर्णतः उन्मोचित नहीं हो जाता तब तक उसका उपयोजन किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ।]

24. प्राधिकरण का बजट—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर अपने वित्तीय वर्ष की बाबत बजट तैयार करेगा जो नियमों द्वारा विहित किया जाए, जिसमें प्राधिकरण की प्रावकलित प्राप्तियां और व्यय दिखाया जाएगा और उसकी उतनी संख्या में प्रतियां केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी जितनी नियमो द्वारा विहित की जाएं

25. लेखा और लेखापरीक्षा—(1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी हैं ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियमों द्वारा विहित करे ।

(2) प्राधिकरण के लेखे प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को देय होगा ।

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति की ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जैसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में है, और विशिष्टतया, वहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखाओं और उसके संबंध लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रति वर्ष केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा और वह सरकार उसकी एक प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

26. वार्षिक रिपोर्ट—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जो नियमों द्वारा विहित की जाए, और वह सरकार रिपोर्ट की प्रति को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

27. पेंशन और भविष्य-निधि—(1) प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक वैतनिक सदस्यों के और अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन और भविष्य-निधि स्थापित करेगा जो वह उचित समझे ।

(2) जहां कोई ऐसी पेंशन या भविष्य-निधि स्थापित की गई है वहां केंद्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य-निधि हो ।

---

[1] 1963 के अधिनियम, सं० 56 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

अध्याय 7

अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबंध

28. प्रवेश का शक्तियां—प्राधिकरण, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन में सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(क) ऐसी भूमि या भवन को कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या उसके तल का माप लेना ;

(ख) सन्निर्माणधीन कार्यों को परीक्षा करना और मल वहन तथा नालियों का मार्ग अभिनिश्चित करना ;

(ग) उपमृदा की खुदाई करना या उसमें वेधन करना ;

(घ) सीमाएं और कार्यों की आशयित रूपरेखा को स्थिर करना ;

(ङ) ऐसे तल, सीमाएं और रूपरेखा निशान लगाकर तथा खांचा काटकर बनाना ;

(च) यह अभिनिश्चित करना कि क्या किसी भूमि का विकास मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा दो गई है, किया जा रहा है या किया गया है ; या

(छ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक कोई अन्य बात करना ;

(i) कोई ऐसा प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के सिवाय तथा अधिभोगी को या यदि कोई अधिभोगी नहीं है तो भूमि या भवन के स्वामी को उचित सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा ;

(ii) प्रत्येक दृष्टांत में पर्याप्त अवसर दिया जाएगा जिससे कि महिलाएं (यदि कोई हों) उस भूमि या भवन से हटाई जा सकें ;

(iii) उस प्रयोजन को अत्यावश्यकताओं से जिसके लिए प्रवेश किया जाता है, के अधिभागियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पर सदैव सम्यक् ध्यान दिया जाएगा ।

29.शास्तियां—)1(वह व्यक्ति; जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति या किसी निकाय (जिसके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) की प्रेरणा से, मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, के उल्लंघन में किसी भूमि के विकास का जिम्मा लेगा या भूमि का विकास करेगा, —

[1][(क) कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, यदि ऐसा विकास किसी अभिन्यास योजना के बिना किसी कालोनी की स्थापना करने की दृष्टि से किसी भूमि का उपयोग, विक्रय या अन्यथा व्यवहार से संबंधित है ; और

(ख) सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, किसी ऐसे मामले में दंडनीय होगा जो खंड (क) में निर्दिष्ट मामलो से भिन्न है ।]

)2(वह व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का उपयोग धारा 14 के उपबधों ते उल्लंघन में या उस धारा के परन्तुक के अधीन विनियमों द्वारा विहित किन्हीं निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में करेगा, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा [2][और किसी जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दैरान ऐसे अपराध के प्रथम वार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।]

(3) वह व्यक्ति, जो धारा 28 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के किसी भूमि या भवन में प्रवेश में अड्चन डालेगा या ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को तंग करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

30.भवन के गिराए जाने का आदेश—[(1) जहां मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के विना या किन्हीं ऐसी शर्तों, जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, के उल्लंघन में, कोई विकास कार्य आरंभ हो चुका है या हो रहा है या पूरा कर लिया गया है वहां, —

(i) किसी विकास क्षेत्र के संबंध में, प्राधिकरण का उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी;

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 38 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (15.3.1985 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 14 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकरण को स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, उसका सक्षम प्राधिकारी,

किसी अभियोजन के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन संस्थित किया जाए, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसे विकास को गिराकर, भरकर या अन्यथा उसके स्वामी या उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी प्रेरणा से विकास आरंभ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा हो गया है, ऐसी अवधि के भीतर (जो हटाए जाने के आदेश की प्रति, उसके कारणों के संक्षिप्त कथन सहित उस स्वामी या व्यक्ति को परिदत्त की जाने की तारीख से पांच दिन से कम न हो और पंद्रह दिन से अधिक न हो) जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, प्राधिकरण का अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी उस विकास को हजा सकेगा या हटवा सकेगा और ऐसे हटाए जाने के खर्चे स्वामी या उस व्यक्ति से, जिसकी प्रंरणा से विकास आरंभ किया गया था या किया जा रहा था या पूरा किया गया था, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगेः

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित स्वामी या व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने का कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए, उचित अवसर न दिया गया हो ।

(1क) यदि किसी विकास क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में कोई विकास, मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किन्हीं ऐसी शर्तों, जिनके अधीन ऐसा अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, के उल्लंघन में, आरंभ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा कर लिया गया है और सक्षम प्राधिकारी उस समय के भीतर जो [1][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के [2][उपराज्यपाल] द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विकास को हटाने या हटवाए जाने में असफल हो गया है, तो [2][उपराज्यपाल], ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् जो इस जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, उस विकास को हटाने या हटवाए जाने के लिए किसी अधिकारी को निदेश दे सकेगा और वह अधिकारी ऐसे निदोश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा तथा उसके हटाए जाने में हुए खर्चे स्वामी या उस व्यक्ति से जिसकी प्रेरणा से विकास आरंभ किया गया था या किया जा रहा था या पूरा हो चुका था, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे ।

[3][(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध उसकी तारीख से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपीर कर सकेगा और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् अपील मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा या आदेश के किसी भाग को उलट कर सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा ।)]

[4][(2क) उपधारा (1क) के अधीन [1][उपराज्यपाल] के निदेश से व्यथित व्यक्ति उसकी तारीख से तीस दिन के भीतर, केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा और केंद्रीय सरकार, व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील मंजूर कर सकेगी या खारिश कर सकगी या निर्देश के किसी भाग को उलट सकेगी या परिवर्तित कर सकेगी ।]

[5][(3) [6][(अपील के संबंध में अध्यक्ष या केंद्रीय सरकार का विनिश्चय और केवल ऐसे विनिश्चय के अधीन रहते हुए, यधास्थिति], उपधारा (1) के अधीन आदेश या उपधारा (1क) के अधीन निदेश, अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(4) इस धारा के उपबध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में भवनों के गिराए जाने से संबंधित किसी अन्य उपबंध के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।]

[7]**[31. विकास रोकने की शक्ति** — (1) जहां किसी क्षेत्र में कोई विकास मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किन्हीं ऐसी शर्तों, जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई हैं, के उल्लंघन में, आरंभ किया गया है, वहां—

(i) किसी विकास क्षेत्र के संबंध में, प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी,

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में उसका सक्षम प्राधिकारी,

किसी अभियोजन के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन संस्थित किया जाए, आदेश की तामील की तारीख से ही विकास को बद करने की अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा और ऐसे आदेश का तदनुसार पालन किया जाएगा ।

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "प्रशासक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 4 द्वारा उपदारा (2) का लोप किया जाएगा (तारीख अधिसूचित की जाएगी)।

[4] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 14 द्वारा उपदारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 4 द्वारा "अपील" से आरंभ होने वाले और "यथास्थिति" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर (तारीख अधिसूचित की जाएगी) निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगेः—
"अपील के संबध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय और केवल ऐसे विनिश्चयों के अधीन हुए ।"

[7] 1963 अधिनियम सं० 56 की धारा 15 द्वारा धारा 31 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) जहां ऐसा विकास उपधारा (1) के अधीन आदेश के अनुसरण में बंद नहीं किया जाता है, वहां, यथास्थिति, प्राधिकरण या प्राधिकरण का अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से, उस व्यक्ति को जिसके द्वारा विकास आरंभ किया गया है और उसके सभी सहायकों और कर्मकारों को विकास के स्थान से हटाए जाने या किसी सन्निर्माण सामग्री, औजार, मशीनरी, पाङ या या ऐसे विकास में प्रयुक्त अन्य चीजों का अभिग्रहण ऐसे समय के भीतर किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो उस अपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसा पुलिस अधिकारी अपेक्षा का तद्नुसार अनुपालन करेगा ।]

[1][(2क) यथास्थिति, प्राधिकरण या प्राधिकरण के अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत कराई जाने वाली कोई चीज, जब तक कि उसका स्वामी ऐसी चीजों को वापस लेने के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण, प्राधिकरण के अधिकारों या सक्षम प्राधिकारी के पास नहीं आता है और ऐसी चीजों के हटाए जाने या भण्डारण के लिए प्रभार का संदाय नहीं करता है, उसके द्वारा लोक नीलाम द्वारा या ऐसी अन्य रीति से और ऐसे समय के भीतर व्ययन की जाएगी, जैसा प्राधिकरण, प्राधिकरण का अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी ठीक समझे ।

(2ख) उपधारा (2क) के अधीन विक्रय की गई चीजों के हटाए जाने और भण्डारण के लिए प्रभार उसके विक्रय आगमो में से संदत्त किए जाएंगे और अतिशेष, यदि कोई हो, विक्रय की गई चीजों के स्वामी को विक्रय की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसके लिए किए गए दावे पर संदत्त किया जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है तो उसे, यथास्थिति, प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकरण की निधि में जमा कर दिया जाएगा ।]

(3) यदि किसी विकास क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में कोई विकास मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किन्हीं शर्तों, जिनके अधीन ऐसा अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, के उल्लंघन में आरम्भ किया गया है और सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश या उपधारा (2) के अधीन कोई अपेक्षा उस समय के भीतर करने में असफल हो गया है जो [2][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के [3][उपराज्यपाल] द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, तो [3][उपराज्यपाल] ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, किसी अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह, यथास्थिति, आदेश या अपेक्षा करे और वह अधिकारी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा तथा निदेश के अनुसरण में उसके द्वारा किए गए आदेश या की गई अपेक्षा का तद्नुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपेक्षा का अनुपालन किए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी जिसको उपराज्य द्वारा उपधारा (3) के अधीन निदेश दिया गया था, लिखित के किसी आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी या प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी को उस स्थान पर वह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करने के लिए तैनात कर सकेगा कि विकास जारी न किया जाए ।

(5) यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (3) के अधीन आदेश का अनुपालन करने में असफल कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान आदेश की तामील के पश्चात् अनुपालन जारी रहता है, दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(6) किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रतिकर किसी ऐसे नुकसान के लिए दावा योग्य नहीं होगा जो धारा 30 के अधीन किसी विकास के हटाए जाने या इस धारा के अधीन विकास के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप हो ।

[4][(7) धारा 30 में और इस धारा में, किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, "सक्षम प्राधिकारी" से उस स्थानीय प्राधिकरण का कोई प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जो ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को शासित करने वाली विधि द्वारा या उसके अदीन किए गए उपबन्धों के अनुसार भवनों के गिराए जाने या कार्यों को रोके जाने संबंधीन आदेश करने के लिए सशक्त या प्राधिकृत है ।

(8) इस धारा के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निर्माण संक्रियाओं को बन्द किए जाने से संबंधित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त हैं न कि उसके अल्पीकरण है।

[5]**[31क. अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति**—(1) यथास्थिति, प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धारा 30 या दारा 31 के अधीन किसी विकास के हटाए जाने या बन्द किए जाने का आदेश करने के पूर्व या पश्चात्, किसी समय, ऐसे विकास का नियमों द्वारा विहित रीति से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे विकास की प्रकृति और विस्तार के संबंध में किसी प्रकार विवाद को रोकने के लिए सील करने का निर्देश देते हुए आदेश करे ।

[1] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 5 द्वारा (12-3-1985 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "प्रशासक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 5 द्वारा उपधारा (7) का लोप किया जाएगा (तारीख अधिसूचित की जाएगी)।

[5] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 6 द्वारा (तारीख अधिसूचित की जाएगी) अन्तःस्थापित ।

(2) जहां किसी विकास का ऐसे विकास को हटाए जाने या बन्द किए जाने के प्रयोजन के लिए, सील कर दिया गया है वहां, यथास्थिति, प्राधिकरण या सक्षम अधिकारी, सील को हटाए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को—

(क) प्राधिकरण या सक्षम अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन के सिवाय ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील में किए गए अपील अधिकरण या [1][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के [2][उपराज्यपाल] के आदेश के अधीन के सिवाय,

नहीं हटाएगा ।

31ख. अपील अधिकरण—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क के अधीन गठित अपील अधिकरण या अपील अधिकरणों की धारा 31ग के अधीन अपीलों का विनिश्चय करने के लिए अपील अधिकरण समझा जाएगा और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 347क और धारा 347ग तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, यथाशक्य, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

31ग. अपील—(1) इस अधिनियम के अधीन किए गए निम्नलिखित आदेशों में से किसी से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विकास के लिए अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने संबंधी प्राधिकरण का आदेश;

(ख) धारा 21 के अधीन किसी भूमि का व्ययन करने संबंधीन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण का आदेश;

(ग) धारा 22 के अधीन किसी भूमि का व्ययन करने संबंधी प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी नजूल भूमि का निपटान करने के दौरान प्राधिकरण का आदेश;

(घ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किसी विकास के हटाए जाने के लिए किया गया प्राधिकरण के किसी अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी का आदेश;

(ङ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन किसी विकास के हटाए जाने के लिए किया गया प्राधिकरण के किसी अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी का आदेश ;

(च) धारा 31क के अधीन किसी विकास को सील करने का निदेश देने के लिए किया गया प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी का आदेश ।

(2) इस धारा के अधीन अपील उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की जानी है; तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगीः

परन्तु अपील अधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(3) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति और ऐसी फीस होगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

31घ. अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलें— (1) इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, प्राधिकरण, प्राधिकरण के अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि करने, उपांतरित करने या रद्द करने वाले अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील [1][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के [2][उपराज्यपाल] को की जाएगी ।

(2) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 31ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध तथा धारा 347ग और उसके अदीन बनाए गए नियमों के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन किसी अपील के फाइल किए जाने और निपटाए जाने को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त धारा 31ग के अधीन किसी अपील के फाइल किए जाने और निपटाए जाने को लागू होते हैं ।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपील पर [2][उपराज्यपाल] का आदेश और केवल ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, धारा 31ग के अधीन अपील अधिकरण का आदेश तथा [2][उपराज्यपाल] या अपील अधिकरण के ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण, प्राधिकरण के अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा ।

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "प्रशासक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण—धारा 30, धारा 31, धारा 31क और धारा 31घ में, किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में "सक्षम प्राधिकारी" से उस स्थानीय प्राधिकरण का कोई ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जो ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को शासित करने वाली विधि द्वारा या उसके अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार भवनों के गिराए जाने या कार्यों को रोके जाने संबंधी आदेश, करने के लिए सशक्त या प्रधिकृत है ।

31ङ न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—(1) दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 38) की धारा 6 के प्रारंभ के पश्चात् कोई न्यायालय धारा 31ग के अधीन अपीलीय किसी आदेश की बाबत कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसा आदेश उस धारा के अधीन अपील करने से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 38) की धारा 6 के प्रारंभ के ठीक पूर्व धारा 31ग के अधीन अपीलीय किसी आदेश की बाबत किसी न्यायालय में लंबित प्रत्येक वाद, आवेदन या कार्यवाही के संबंध में उस न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाती रहेगी और उसका निपटान किया जाता रहेगा मानो उक्त धारा प्रवृत नहीं हुई हो ।]

32.कंपनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के लिए संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगेः

परंतु इस उपधारा को कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपवंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसके ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है क् वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

33. वसूल किए गए जुर्माने का प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को संदत्त किया जाना—इस अधिनियम के अधीन अभियोजनों के संबंध में वसूल किए गए सभी जुर्माने, यथास्थिति, प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को संदत्त किए जाएगे ।

34. अपराधों का शमन—[1][(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दंडनीय बनाए गए किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्,—

(i) धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, [2][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के [3][उपराज्यपाल] या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा; और

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शमन किया जा सकेगा ।]

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया गया है, वहां अपराधों को, यदि वह अभिरक्षा में है तो, उन्मोचित कर दिया जाएगा और शमन किए गए अपराध को बाबत उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही ही नहीं की जाएगी ।

[4][**34क. कुछ अपराधों का संज्ञेय होना**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होगा मानो वह कोई संज्ञेय अपराध है,—

(i) ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए; और

(ii) निम्नलिखित से भिन्न सभी विषयों के प्रयोजनों के लिए—

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 16 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "प्रशासक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 7 द्वारा (15-3-1987 से) अंतःस्थापित ।

(1) जब संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषय, और

(2) निम्नलिखित को शिकायत या उससे प्राप्त सूचना के सिवाय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी—

(क) प्राधिकरण का ऐसा अधिकारों जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, और जो [3][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के [1][उपराज्यपाल] द्वारा नियुक्त किया जाए, यदि अपराध किसी विकास क्षेत्र के संबंध में किया जाता है;

(ख) दिल्ली नगर निगम का ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त की पंक्ति सें नीचे का न हो और जो [2][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के [1][उपराज्यपाल] द्वारा नियुक्त किया जाए, यदि अपराध उस निगम की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में किया जाता है; या

(ग) सचिव, नई दिल्ली नगर समिति, यदि अपराध उस समिति की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में किया जाता हैः

परंतु कोई ऐसा अपराध, जो धारा 12 के अधीन दी गई अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी का व्यतिक्रम किए जाने से संबंधित है और जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शमन किया जा सकता है, संज्ञेय नहीं होगा ।

[3][**35. प्राधिकरण की व्यतिक्रमी शक्तियां—**(1) यदि प्राधिकरण का, स्थानीय जाच करने के पश्चात्, या अपने किसी अधिकारी की रिपोर्ट या अपने कब्ज में की अन्य सूचना पर यह समाधान हो जाता है विकास क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में कोई सुख-सुविधा उस भूमि के संबंध में उपलब्ध नहीं कराई गई है जो, प्राधिकरण की राय में, उपलब्ध कराई जानी है, या भूमि में कोई विकास जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी अभिप्राप्त की गई है, नहीं किया गया है, तो वह हतुक दर्शित करने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात् भूमि के स्वामी पर या उस व्यक्ति पर जो सुख-सुविधा उपलब्ध करा रहा है या उसे उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है, एक सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे समय के भीतर सुख-सुविधा उपलब्ध कराए या विकास करे जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) यदि उस सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई सुख-सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है या कोई ऐसा विकास नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण स्वयं सुख-सुविधा उपलब्ध करा सकेगा या विकास कर सकेगा या ऐसे अभिकरण की मार्फत उपलब्ध कराएगा या विकास कराएगा जो वह ठीक समझेः

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व, प्राधिकरण भूमि के स्वामी को या सकुख-सुविधा उपलब्ध कराने वाले या उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को, यह हतुक दर्शित करने का कि क्यों न ऐसी कार्रवाई की जाए, उचित अवसार देगा ।

(3) प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा सुख-सुविधा उपलब्ध कराने में या विकास करने में उपगत सभी व्यय और संदाय किए जाने तक ऐसे दर से ब्याज जो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, उस तारीख से नियत करे जब व्यय की मांग की गई है, प्राधिकरण द्वारा स्वामी से या सुख-सुविधा उपलब्ध कराने वाले या उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।]

36. प्राधिकरण को स्थानीय प्राधिकरण से कतिपय मामलों में सुख-सुविधाओं का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति—जहां किसी क्षेत्र का विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है वहां प्राधिकरण उस स्थानीय प्राधिकरण से जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर इस प्रकार विकसित क्षेत्र स्थित है, उन सुख-सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए जो प्राधिकरण द्वारा उस क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई हैं, उत्तरदायित्व ग्रहण करने लिए और ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, किंतु जो उसकी राय में, उस क्षेत्र में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो प्राधिकरण और उस स्थानीय प्राधिकरण के बीच करार पाई जाएं, और जहां ऐसे निबंधनों और शर्तों के संबंध में करार नहीं हो सकता है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा, प्राधिकरण द्वारा उस सरकार को विषय के निर्देश किए जाने पर, स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से, परिनिर्धारित किए गए निबंधनों और शर्तो पर उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा ।

[4][37. प्राधिकरण की सुधार प्रभार उद्ग्रहण करने की शक्ति—(1) जहां प्राधिकरण की राय में, प्राधिकरण द्वारा किसी विकास क्षेत्र में निष्पादित किए गए किसी विकास के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में या विकास क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में जिसको उस

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "प्रशासक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 16 द्वारा धारा 35 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 18 द्वारा धारा 37 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

विकास से फायदा हुआ है, किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है या बढ़ जाएगा, वहां प्राधिकरण, उस संपत्ति के स्वामी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर विकास के निष्पादन के परिणामस्वरूप संपत्ति के मूल्य में वृद्धि की बाबत सुधार प्रभार उद्गृहीत करने का हकदार होगाः

परंतु दिल्ली के भीतर सरकार के स्वामित्व वाली भूमि की बाबत कोई सुधार प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा

परंतु यह और कि जहां सरकार की किसी भूमि को सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई है वहां वह भूमि और उस पर स्थित कोई भवन इस धारा के अधीन सुधार प्रभार के अधीन होगा ।

(2) ऐसा सुधार प्रभार —

(i) किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी संपत्ति की बाबत उस रकम के एक तिहाई के बराबर रकम,और

(ii) किसी अन्य क्षेत्र में स्थित संपत्ति की बाबत उस रकम के एक तिहाई से अनधिक रकम,

जिस तक प्राक्कलित विकास स्कीम के निष्पादन के पूर्ण होने पर संपत्ति का मूल्य उसी रीति से प्राक्कलित ऐसे निष्पादन के पूर्व संपत्ति के मूल्य से अधिक है मानो वह संपत्ति निर्माणों से मुक्त है,

होगा ।

परंतु खंड (ii) के अधीन किसी संपत्ति पर सुधार प्रभार उद्ग्रहण करने में, प्राधिकरण उस विकास से संपत्ति को होने वाले फायदे के परिमाण और प्रकृति तथा ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखेगा जो इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

38. प्राधिकरण द्वारा सुधार प्रभार का निर्धारण—(1) जब प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि कोई विशिष्ट विकास स्कीम पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाई गई है जिससे कि सुधार प्रभार की रकम अवधारित की जा सके, दो प्राधिकरण, इस निमित्त किए गए आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि सुधार प्रभार अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, स्कीम के निष्पादन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पूरा हो गया है और तब संपत्ति के स्वामी या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उसमें हित है, लिखित रूप से सूचना देगा कि प्राधिकरण धारा 37 के अधीन संपत्ति की बाबत सुधार की रकम निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।

(2) इसके पश्चात् प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति द्वारा संदेय सुधार प्रभार की रकम ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् निर्धारित करेगा और ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण से ऐसे निर्धारण को लिखित रूप में सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, प्राधिकरण को लिखित रूप में घोषणा द्वारा यह सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या उससे विसम्मति प्रकट करता है ।

(3) जब प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्धारण संबंधित व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा निर्धारण अंतिम होगा ।

(4) यदि संबंधित व्यक्ति ऐसे निर्धारणसे विसम्मति प्रकट करता है या प्राधिकरण को उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित सूचना उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल हो जाता है तो यह मामला मध्यस्थों द्वारा धारा 39 में उपबंधित रीति से अवधारित किया जाएगा ।

39. मध्यस्थो द्वारा सुधार प्रभार का व्यवस्थापन—(1) धारा 38 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट मामलो के अवधारण के लिए, केंद्रीय सरकार तीन मध्यस्थ नियुक्त करेगी, जिनमें से कम से कम एक को भूमि के मूल्यांकन का विशेष ज्ञान होगा ।

(2) मध्यस्थ ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

[1][(2क) मध्यस्थो को, उनको निर्दिष्ट किसी मामले का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल न्यायालय में किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर करानातथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना ।

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) माध्यस्थम् के किसी पक्षकार को ऐसे परिप्रश्न देना, जो मध्यस्थों की राय में, वश्यक हों ।]

(3)मध्यस्थों के बीच राय में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा और वह विनिस्चय मध्यस्थों का पंचाट होगा ।

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित ।

(4) यदि क्सी मध्यस्थ की मृत्यु को जाती है, वह पद त्याग कर देता है या उसे उपधारा (5) के अधीन हटा दिया जाता है या केंद्रीय सरकार की राय में वह अपने कर्तव्यों का पालन करने से इंकार करता है या उनका पालन करने में उपेक्षा बरतता है या असमर्थ है जाता है, तो केंद्रीय सरकार तुरंत एक दूसरा योग्य व्यक्ति ऐसे मध्यस्थ का स्थान देने के लिए नियुक्त करेगी ।

(5) यदि केंद्रीय सरकार का ऐसी जांच के पश्चात् जो वह ठीक समझे यह समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी मध्यस्थ ने दुराचरण किया है तो केंद्रीय सरकार उसे उसके पद से हटा सकेगी ।

(ख) मध्यस्थों का पंचाट अनुचित रूप से उपाप्त किया गया है या किसी मद्यस्थ ने ऐसे पंचाट के संबंध में दुराचरण किया है, तो केंद्रीय सरकार उस पंचाट को अपास्त कर सकेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन अपास्त न किया गया पंचाट अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(7) मध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के उपबंध इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को लागू नहीं होंगे ।

40. सुधार प्रभार का संदाय—(1) इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत सुधार प्रभार उतनी किश्तों में संदेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय पर और ऐसी रीति से संदेय होंगी जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा नियत की जाए ।

(2) सुधार प्रभार की कोई बकाया, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

[1][**30क प्राधिकरण को देय धन की वसूली का ढंग—**फीस या प्रभार मद्दे या भूमि, भवनों या अन्य जंगम या स्थावर से या भाटकों और लाभों के रूप में प्राधिकरण को देय कोई धन यदि उसकी वसूली का उपबंध इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है तो, प्राधिकरण द्वारा भू-राजस्व की बकायों के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।]

41. केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण—(1) प्राधिकरण से निदेशों का कार्यान्वियन करेगा जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए दिए जाएं ।

(2) यदि प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और किन्हीं कृत्यों के निर्वहन में या उनके संबंध में प्राधिकरण और केंद्रीय सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद के संबंध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[2][(3) केंद्रीय सरकार, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त किसी आवेदन पर, प्राधिकरण द्वारा निपजाए गए किसी मामले या किए गए आदेश के अभिलेखों को, किए गए किसी आदेश या दिए गए निदेशों की वैधता या औचित्य के बासे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगी या ऐसा निर्देश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परंतु केंद्रीय सरकार कोई ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकृत प्रभाव डालने वाला है, ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना नहीं करेगी ।]

[3][**42. विवरणियां और निरीक्षण—**(1) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा जो वह सरकार समकय-समय पर, अपेक्षा करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के संबंध में प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण से रिपोर्टें विवरणियां और अन्य जानकारी मांग सकेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी किसी भूमि में सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना यह अभिनिश्चित करने के लिए कि मास्टर प्लान के उपबंध कार्यान्वित किए जा रहे हैं या नहीं अथवा किए गए हैं या नहीं ये ऐसे प्लान के अनुसार विकास किया जा रहा है या नहीं अथवा किया गया है या नहीं, प्रवेश कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही और अधिभोगी को या कोई अधिभोगी नहीं हैं तो भूमि या भवन के स्वामी को उचित सूचना देकर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।]

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 20 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 22 द्वारा धारा 42 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

43. सूचनाओं आदि की तामील—(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं, आदेशो और अन्य दस्तावेजों के बारे में जो किसी व्यक्ति पर तामाल किए जाने हैं, इस अधिनियम या ऐसे नियम या विनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, यह समझा जाएगा कि वे सम्यक् रूप से तामील कर दिए गए हैं:-

(क) जहां वह व्यक्ति जिस पर तामील किया जाना है, कोई कंपनी है वहां, यदि दस्तावेज कंपनी के सचिव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कारबार के मुख्य स्थान के पते पर—

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या

(ii) कंपनी के रजिस्ट्रीत कार्यालय या मूल कार्यालय में या कारबार के स्थान पर परिदत्त किया जाता है ;

(ख) जहां वह व्यक्ति जिसको तामील किया जाना है, कोई भागीदार है वहां, यदि दस्तावेज भागीदार को उसके कारबार के मुख्य स्धान के, उस नाम या अभिनाम द्वारा उसकी पहचान करते हुए, जिसके अधीन उसका कारबार होता है, पते पर—

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या

(ii) कारबार के उक्त स्थान पर परिदत्त किया जाता है ;

(ग) जहां वह व्यक्ति, जिसको तामील किया जाना है, कोई लोक निकाय या निगम या सोसाइटी या अन्य निकाय है वहां, यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम या सोसाइटी के सचिव, कोषपाल या अन्य प्रधान अधिकारी को उसके मुख्य कार्यालय के पते पर,—

(घ) किसी अन्य मामलों में, यदि दस्तावेज उस व्यक्ति को संशोधित है जिसको तामील किया जाना है, और—

(i) वह उसे दिया जाता है या परिदत्त किया जाता है, या

(ii) यदि वह व्यक्ति पाया नहीं जा सकता है तो, वह उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर, यदि [1][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के भीतर हो, चिपका दिया जाता है या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को परिदत्त किया जाता है या उस भूमि या भवन के जिससे वह संबंधित हैं, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाता है, या

(iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

(2) किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को तामील किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी दस्तावेज पर उस भूमि के, या भवन के, अतिरिक्त नाम या पर्णन के बिना, पता लिखा जा सकेगा और निम्नलिखित दशाओं में यह समझा जाएगा कि वह उसे सम्यक् रूप स् तामील कर दिया गया है—

(क) यदि इस प्रकार पते वाला दस्तावेज उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसार भेजा या परिदत्त किया जाता है ; या

(ख) यदि इस प्रकार पते वाला दस्तावेज या इस प्रकार के पते वाली उसकी प्रति उस भूमि या भवन से संबंधित किसी व्यक्ति को परिदत्त किया जाता है या जहां भूमि या भवन पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह परिदत्त नहीं किया जा सकता है वहां, उस भूमि या भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाता है।

(3) जहां इस धारा के अनुसार कोई दस्तावेज किसी भागीदार को तामील किया जाता है वहां, वह दस्तावेज प्रत्येक भागीदार को तामील किया गया समझा जाएगा।

(4) किसी संपत्ति के स्वामी को किसी दस्तावेज के तामील किये जाने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण को सचिव, संपत्ति के अधिभोगी (यदि कोई है) से लिखित रूप में सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके स्वामी का नाम और पता बताए।

(5) जहां वह व्यक्ति जिसको कोई दस्तावेज तामील किया जाना है, अवयस्क है वहां, उसके संरक्षक या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्यक सदस्य की तामील किए जाने पर यह समझा जाएगा कि वह अवयस्क को तामील हो गया है।

(6) इस धारा के अर्थ में सेवक कुटूंब का सदस्य नहीं है।

44. लोक सूचना की जानकारी किस प्रकार दी जाएगी—इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक लोक सूचना प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में होगी और उसके बारे में उससे प्रभावित होने वाले परिक्षेत्र में उसकी प्रतियां उक्त परिक्षेत्र के भीतर

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा “दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों पर चिपका कर या उसकी डोंडी पितवाकर प्रचार कर के या स्थानीय समाचारपत्र में विज्ञापन देकर या इनमें से दो या अधिक साधनों द्वारा और किन्हीं अन्य साधनों द्वारा जो सचिव ठीक समझे, व्यापक रूप से जानकारी दी जाएगी ।

45. सूचनाओं, आदि द्वारा उचित समय नियत किया जाना—जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन निकाली गई किसी सूचना, किए गए किसी आदेश या जारी किए गए अन्य दस्तावेज से क्सी बात के किए जाने की अपेक्षा है ज्सके किए जाने के लिए इस अधिनियम या नियम या निमियम में कोई समय निश्चित नहीं है, वहां उस सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज में उसे करने के लिए एक उचित समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

46. प्राधिकरण के आदेशों और दस्तावेजों का अधिप्रमाणन—प्राधिकरण की सभी अनुज्ञा, आदेश, विनिश्चय, सूचनाएं और अन्य दस्तावेज प्राधिकरण के सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएगें।4

47. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना—प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझो जाएंगे ।

48. न्यायालयों को अधिकारिता—[1][महानगर मजिस्ट्रेट] से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

49. अभियोजन की मंजूरी—[2][(1)] इस अधिनियम के अधीन दंडनीय [3][उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] किसी अपराध के लिए अभियोजन, यथास्थिति, प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण या ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से हो संश्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

[3][(2) धारा 31 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पालन न करने के लिए और उस धारा की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन प्राशासक या उसके द्वारा इसनिमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।]

50. मजिस्ट्रेट की वर्धित शक्तियां अधिरोपित करने की शक्ति—[4][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट के किसी न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि] वह उक्त धारा के अधीन अपनी शक्तियों के आधिक्य में इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे ।

51. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी ।

52. प्रायायोजित करने की शक्ति—[5][(1)] प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण या [6][धारा 5क के अधीन गठित समिति द्वारा भी जो उसमें उल्लिखित किया जाए, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किया जा सकेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि नियम बनाने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उसमें उल्लिखित किया जाए, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किया जा सकेगा ।]

(3) [7][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] का शासक, राजपत्र में अदिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि [8][अपीलों की सुनवाई की शक्ति के सिवाय] इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारी द्वारा जो उसमें उल्लिखित किया जाए, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किया जा सकेगा ।

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा (15-3-1985 से) "प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 23 द्वारा, धारा 49 की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा ।

[3] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 9 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (15-3-1985 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 24 द्वारा धारा 52 की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित ।

[6] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित ।

[7] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 10 द्वारा (तारीख अधिसूचित की जाएगी) अंतःस्थापित ।

53. अन्य विधियों का प्रभाव—(1) इस अधिनियम की कोई बात गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) [1][धारा 30 की उपधारा (4) या धारा 31 की उपधारा (8) या इस धारा की उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय], इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(3) किसी ऐसे अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(क) जब किसी भूमि की बाबत विकास के लिए अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त की गई है, तो ऐसे विकास का विधिविरुद्ध तथा जिम्मा लिया जाना या किया जाना केवल इस बात के कारण नहीं समझा जाएगा कि ऐसे विकास के लिए ऐसे विकास के लिए ऐसे अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है;

(ख)जब ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त नहीं की गई हैं, तो विकास का विधिपूर्वक जिम्मा लिया जाना या किया जाना केवल इस बात के कारण नहीं समझा जाएगा कि ऐसे विकास के लिए ऐसी विधि के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी प्राप्त की गई है ।

[2][**53क. स्थानीय प्राधिकरण की कुछ विषयों की बाबत नियम, विनियम या उपविधि बनाने की शक्ति पर निबंधन—**(1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषयों की बाबत किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई नियम, विनियम या उपविधि तब तक नहीं बनाई जाएगी या उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा जब तक प्राधिकरण; ऐसे, नियम, विनियम या उपविधि पर विचार करके यह प्रमाणित न कर दे कि वह मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उपबंधों में से किसी का उल्लंघ नहीं करती है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित है, अर्थात :—

(क) जल प्रदाय, जल निकास और मल वहन का निपटान;

(ख) भवनों के निर्माण और पुनःनिर्माण जिसके अन्तर्गत निर्माण के लिए अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति देना और उपयोग पर निबंधनों का अधिरोपण तथा भवनो का उपविभाजन भी है ;

(ग) भूमि का निर्माण स्थलों,सङ्कों और गलियों, आमोद-प्रमोद स्थलों और सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्थलों में उपविभाजन; और

(घ) भूमि का विकास, सुधार स्कीमें तथा आवास और पुनः आवास स्कीमें ।

53ख. वादों की सूचना का दिया जाना—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में किए गए किसी कार्य या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य की बाबत प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या उसके किसी अधिकरी या अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण के या प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के निदेशो के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक प्राधिकरण की दशा में उसके कार्यालय में दी गई, और किसी अन्य दशा में, उस व्यक्ति के जिस पर वाद लाया जाता है, कार्यालय में या निवास-स्थान पर परिदत्त या दी गई लिखित सूचना के पश्चात् दो मास समाप्त नहीं हो जाते और जब तक ऐसी सूचना में वाद हेतुक, चाही गई राहत की प्रकृति, दावा किए गए प्रतिकर की रकम और वादी का नाम और निवास-स्थान स्पष्टतया कथित न हों और जब तक वादपत्र में ऐसा कथनअंतर्विष्ट न हो कि ऐसी सूचना इस प्रकार दी गई है या परिदत्त की गई है ।

(2) उपधारा (1) में यथा वर्णित वाद, जब तक कि वह स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए या उसके हक की घोषणा के लिए वाद हेतुक उद्भूत होने की तारीख से छह मास के पश्चात् संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में किसी वात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे वाद की लागू होती है जिसमें केवल दावा किया गया अनुतोष व्यादेश है, जिसका उद्देश्य सूचना देने या वाद के संस्थित किए जाने के मुल्तबी से विफल हो जाएगा ।]

54. व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) किसी भवन के अनुरक्षण, सुधार या अन्य परिवर्तन के लिए कार्य किया जाने, जो ऐसे कार्य हैं जो केवल भीतरी भवन को प्रभावित करते हैं या जो भवन के बाह्य स्वरूप को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं ;

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 26 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के किसी विभाग द्वारा किन्हीं नालियों, मल व्यवस्था, नलों, पाइपों, केबिलों या अन्य साधित्रों का निरीक्षण, मरम्मत या पुनरुद्धार करने के प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत उस प्रयोजन के लिए किसी मार्ग का खोला जाना भी है; कोई कार्य करना;

(ग) किसी भवन का निर्माण, जो निवासगृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के उपयोगी प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है;

(घ) उपासना के किसी स्थान या मकबरा या स्मारक का या भूमि पर कब्र, उपासना के स्थान, स्मारक या समाधि को घेरने वाली किसी दीवाल का निर्माण, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसे उपासना स्थान, मकबरा, स्मारक, कब्र या समाधि के प्रयोजन के लिए दखल की गई थी ;

(ङ) कृषि सक्रियाओं के मामूली अनुक्रम में किए गए उत्खनन (जिसके अंतर्गत कुंए भी हैं); और

(च) केवल कृषि प्रयोजन के लिए भूमि पर पहुंचने के लिए आशयित अधात्विक सङक का सन्निर्माण ।

55. कतिपय मामलो में योजनाओं का उपांतरित हो जाना—(1) जहां दिल्ली में किसी क्षेत्र में स्थित कोई भूमि मास्टर प्लान या किसी जोन विकास योजना द्वारा मैदान के रूप में या सन्निर्माण रहित रखने के लिए अपेक्षित है या किसी ऐसी योजना में अभिहित है जो अनिवार्य अर्जन के अधीन है, वहां यदि धारा 11 के अधीन योजना के प्रवर्तन की तारीख से दस वर्ष के अवसान पर या जहां ऐसी भूमि ऐसी योजना में किसी संशोधन द्वारा इस प्रकार अपेक्षित या अभिहित की गई है वहां ऐसे संशोधन के प्रवर्तन की तारीख से वह भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित नही की गई तो, [1]*** भूमि का स्वामी [2][केन्द्रीय सरकार को] इस प्रकार अर्जित की जाने वाली भूमि में अपने हित की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील कर सकेगा ।

(2) [3][यदि केन्द्रीय सरकार] सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भूमि अर्जित करने में असफल हो जाती हैं तो, यथास्थिति, मास्टर प्लान या जोन विकास योजना का प्रभाव उक्त छह मास के अवसान के पश्चात् उसी प्रकार होगा मानो उस भूमि को मैदान के रूप में या निर्माण रहित रखना अपेक्षित नहीं है या अनिवार्य अर्जन के अधीन अभिहित नहीं हैं ।

56. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए नियम बना सकेगीः

परन्तु इस धारा के अधीन नियमों के बनाए जाने के प्रथम अवसर पर प्राधिकरण से परामर्श आवश्यक नहीं होगा । किन्तु केन्द्रीय सरकार किन्हीं ऐसे सुझावों पर विचार करेगी, जो प्राधिकरण ऐसे नियमों के बनाए जाने ने पश्चात् उनमें संशोधन के संबंध में दे ।

(2) विशिष्टतया और पूवगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातः-

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की रीति;

(ख) प्राधिकरण या सलाहकार, परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अर्हताए और निर्रहताएं;

(ग) प्राधिकरण के पूर्णकालिक वैतनिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ;

[4][(गग) सलाहकार परिषद् के पदेन सदस्य और ऐसे अन्य सदस्यों, जो सरकारी सेवक हैं, के सिवाय सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते ;]

(ग) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियंत्रण और निर्बंधन ;

[5][(घघ) वे प्रक्रम जिनके द्वारा किसी जोन के किसी विशिष्ट स्परूप का विकास किया जाए ;]

(ङ)मास्टर प्लान और किसी जोन विकास योजना का प्ररूप और सारांश तथा ऐसी योजनाओं और प्ररूप के तैयार किए जाने, प्रस्तुत किए जाने और अनुमोदन के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और किसी ऐसे प्रारूप योजना से संबंधित सूचना के प्रकाशन की रीति ;

(च) स्थानीय जांच और अन्य सुनवाई जो किसी योजना के अनुमोदन से पूर्व की जाए ;

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 27 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 27 द्वारा "प्राधिकरण को सूचना की तामील करेगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 27 द्वारा "यदि प्राधिकरण तत्समय क्षेत्र के विकास से लिए प्रभारित है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1976 के अधिनियम सं० 4 की धारा स० द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 28 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1](छ) वह प्ररूप जिसमें, और वह रीति जिससे धारा 11के की उपधारा (3) के अधीन सूचना प्रकाशित की जाएगी;]

(ज) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए किसी आवेदन पर संदत्त की जाने वाली फीस और ऐसी फीस के अवधारण में विचार की जाने वाली बातें और परिस्थितयां ;

[2]* * * * * *

[2][(ञ) वह रीति जिससे नजूल भूमियों के विकास के पश्चात् उनका निपटान किया जाएगा ;

(ञञ) धारा 30 या धारा 31 के अधीन [3][उपराज्यपाल] द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञञञ) विकास क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति के संबंध में सुधार प्रभार की दर अवधारित करने में विचार की जाने वाली बाते ;]

[4][(ञक) वह रीति जिससे धारा 31क की उपधारा (1) के अधीन किसी विकास को सील किया जाएगा;

(ञख) वह प्ररूप, जिसमें अपील धारा 31ग की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण को की जाएगी और वह फीस जो ऐसी अपील के साथ होगी;]

(ट) धारा 36 के अधीन केन्द्रीय सरकार को उन निबंधनों और शर्तों के परिनिर्धारण के लिए जिनके अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी क्षेत्र में सुख-सुविधाओं के लिए उत्तरयायित्व ग्रहण करने की अपेक्षा की जा सकेगी, किसी विषय को निर्देशित करने के लिए प्रक्रिया;

(ठ) मध्यस्थों द्वारा सुधार प्रभार के अवधारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ड) वह धनराशि, जो चालू खाते में रखी जा सकेगी ;

[5][(डड) ऋणों या डिबेंचरों के रूप में धन उधार लेने के और उनके पुनः संदाय के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;]

(ढ) प्राधिकरण के बजट का प्रारूप और उसको तैयार करने की रीति ;

(ण) तुलनपत्र और लेखाओं के विवरण का प्ररूप ;

(त) वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और वह तारीख जिसको या जिसके पूर्व उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(थ) प्राधिकरण के पूर्णकालिक वेतनिक सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन और भविष्य निश्धियों के गठित किए जाने की रीति और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसी निधियां गठित की जा सकेंगी ;

(द) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

57. विनियम बनाने की शक्ति—(1) [6][प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियम] जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगाः—

(क) प्राधिकरण की बैठकों का बुलाया जाना और किया जाना, वह समय और स्थान जहां ऐसी बैठकें की जानी है, ऐसी बैठकों में कार बार का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य-संख्या ;

[7][(कक) धारा 5क के अधीन गठित किसी समिति की बैठको का बुलाया जाना और किया जाना, वह समय और स्थान, जहां ऐसी बैठकें की जानी है, ऐसी बैठकों में कारबार का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य-संख्या तथा प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने या उसके किसी अन्य कारय के लिए सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते ;]

(ख) प्राधिकरण के सचिव और मुख्य लेखाधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य;

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 28 द्वारा खंड (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 28 द्वारा खंड (झ) का (भूतलक्षी प्रभाव से) लोप किया गया।
[3] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "प्रशासक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 38 की धारा 11 द्वारा (तारीख अधिसूचित की जाएगी) अंतःस्थापित।
[5] 1963 के अधिनियम सं० 56 की दारा 28 द्वारा अतःस्थापितः
[6] 1976 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा "प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बना सकेगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[7] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 29 द्वारा अंतःस्थापित।

(ग) सचिव, मुख्य लेखाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें ;

(घ) अध्याय 3 के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों को करने के लिए प्रक्रिया ;

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया जाएगा और वे विशिष्टियां जो ऐसे आवेदन में दी जाएगी ;

(च) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन योजनाओं के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग जारी रखा जा सकेगा ;

[1]* * * * * *

(ज) विकास के लिए अनुज्ञा के इंकार किए जाने के आधारों को संसूचित करने की रीति ;

(झ) अनुज्ञा के लिए आवेदनों के रजिस्टर का प्ररूप और ऐसे रजिस्टर में रखी जाने वाली विशिष्टियां;

(ञ) प्राधिकरण की संपत्ति का प्रबंध ;

(ट) सुधार प्रभार के संदाय का समय और रीति ; और

(ठ) कोई अन्य विषय, जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(2) जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण स्थापित नहीं हो जाता है तब तक उपधारा (1) के अधीन बनाया जाने वाला कोई विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम को, प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिवर्तित या विखंडित किया जा सकेगा ।

[2][**58. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—**इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत को जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या विष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।]

59. प्राधिकरण का विघटन—(1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि वे प्रयोजन, जिनके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया था, पर्याप्त रूप से पूसे हो गए हैं । जिससे केन्द्रीय सरकार की राय में प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक है है वहां वह सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि प्राधिकरण को उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, विघटित किया जाएगी और प्राधिकरण तदनुसार विघटित हो गया समझा जाएगा ।

(2) उक्त तारीख से,—

(क) प्राधिकरण में निहित या उसके द्वारा वसूलों योग्य सब संपत्ति, निधि और बकाया केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी या उसके द्वारा वसूलीय होंगी ;

(ख) प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखो गई नजूल भूमि केन्द्रीय सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएंगी ;

(ग) ऐसे सभी दायित्व जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय है केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे ; और

(घ) ऐसे किसी विकास जो प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः नहीं किया गया है, के किए जाने के प्रयोजन के लिए और खंड (क) में निर्दिष्ट संपत्तियों, निदियों और बकायों के वसूल करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

60. निरसन, आदि और व्यावृत्ति—(1) प्राधिकरण के गठन को तारीख से,—

(क) यूनाइटेड प्राविसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 (1919 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 8) [3][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] में प्रभावी नहीं रह जाएगा ; और

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 56 की धारा 29 द्वारा खंड (छ) का (भूतलक्षी रूप से) लोप किया गया ।
[2] 1976 के अधिनियम सं० 4 की धारा 4 द्वारा धारा 58 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) दिल्ली (कंट्रोल आफ बिल्डिंग आपरेशंस) अधिनियम, 1955 (1955 का 53) निरसित हो जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी,—

(क) प्राधिकरण के गठन को तारीख के ठीक पूर्व दिल्ली सुधार न्यास या दिल्ली विकास (अनन्तिम) प्राधिकरण के अधीन सेवा कर रहे प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी की उस तारीख से हो, प्राधिकरण में अंतरित कर दिया जाएगा और वे प्राधिकरण के ऐसे पदनाम सरित अधिकारो या अन्य कर्मचारी हो जाएंगे जो प्राधिकरण अवधारित करे और वे उसी सेवाधृति, उसी परिश्रमिक और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पदधारण करेंगे जो वे उसे उस समय धारण करते यदि प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया होता और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक ऐसी सेवाधृति, पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें, प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैः

परन्तु प्राधिकरण के गठन के पूर्व किसी ऐसे अधिकारों या अन्य कर्मचारी द्वारा की गई कोई सेवा उसके अधीन की गई सेवा समझी जाएगीः

परन्तु यह और कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को नियोजित कर सकेगा जो वह उचित समझे और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या कर्मचारी तदनुसार उन कृत्यों का निर्वहन करेगा ;

(ख) पूर्वोक्त अधिनियम में से किसी के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति, प्रत्यायोजन, निकाली गई अधिसूचना, किया गया आदेश, बनाई गई स्कीम, दी गई अनुज्ञा, बनाए गए नियम, उपविधि, विनियम या प्रारूप है) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, प्रवृत्त बनी रहेगी और तब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी जब तक उसे उक्त उपबन्धों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिष्ठित नहीं कर दिया जाता है ;

(ग) दिल्ली सुधार न्यास या दिल्ली विकास (अनन्तिम) प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं, किए जाने के लिए वचनबध, सभी विषय और बातें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए की गई या की जाने के लिए वचनबंध समझी जाएगी ;

(घ) दिल्ली सुधार न्यास या दिल्ली विकास (अनन्तिम) प्राधिकरण में निहित सभी जंगम और स्थावर संपत्ति प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी;

(ङ) दिल्ली सुधार न्यास या दिल्ली विकास (अनन्तिम) प्राधिकरण को देय सभी किराए, फीस और अन्य धनराशि प्राधिकरण को देय समझी जाएंगी;

(च) दिल्ली सुधार न्यास या दिल्ली विकास (अंतिम) प्राधिकरण द्वारा, उसके लिए या उसके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां, प्राधिकरण द्वारा, या उसके लिए या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी ।